

13.09.2023

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री राजकुमार शर्मा, एड.उप.। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री श्रवण घोसल्या, एड. उप.। वकील उभयपक्ष को मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पर सुना गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे जाहिर है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र श्री सुरेश यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध पेश किया गया है तथा सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है। इस तथ्य से प्रार्थी के अधिवक्ता भी सहमत है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र वर्तमान में सारहीन होने से उपस्थित पक्ष की सहमति से खारिज किया जाता है। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

(असलम शेर खान)  
अति.संभागीय आयुक्त,  
जयपुर